बिन्दु सं0–2 अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तब्यः–

जनजाति विकास निदेशालय द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक ढॉचा की रूप रेखा निम्न प्रकार है :–

निदेशालय स्तर पर निदेशक के नियन्त्रण में एक उप–निदेशक सहित मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, विशेष अधिकारी, सहायक निदेशक एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रदेश में चल रही योजनाओं के कार्यो को सम्पादित किया जाता है। छात्रवृत्ति का कार्य जिला स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा सम्पादित किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं द्वारा संचालित किये जाने वाले आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन विभाग के नियन्त्रण में क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना अधिकारी द्वारा तथा शैक्षिक विकास के कार्यक्रम में छात्रवृत्ति का वितरण जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन अधीक्षक द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने हेतु निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के उद्देय से छात्रावास का संचालन प्रबन्धक की देख–रेख में कराया जाता है।

उत्तरांचल राज्य के पृथक रूप से गठन के पश्चात् प्रदेश में चार परियोजनाऐं संचालित हैं जिसमें दो परियोजना अधिकारी एवं एक उप परियोजना अधिकारी के पद स्वीकृत हैं शेष एक परियोजना जिला समाज कल्याण अधिकारी के नियन्त्रण में संचालित है। एक छात्रावास एवं 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है, जिसके लिए प्रबन्धक का एक पद तथा अधीक्षक/अधीक्षिका के 9 पद स्वीकृत है।

भाक्ति एवं कर्तब्य :–

निदेशक :– विभागाध्यक्ष के रूप में प्रदत्त समस्त अधिकारी एवं कर्तब्य निहित हैं जो अपने अधीन निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों के माध्यम से कार्य का सम्पादन करते हैं।

उप निदेशक :– विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं संचालन का दायित्व पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में निर्वहन करते है।

परियोजना अधिकारी :– अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु परियोजना स्तर पर योजनाओं का संचालन।

जिला समाज कल्याण अधिकारी :– आहरण वितरण अधिकारी का जिला स्तर पर उत्तरदायित्व।

समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तब्य एवं दायित्वों का विस्तृत विवरण विभाग में उपलब्ध है जिसे इलेक्ट्रानिक फार्म में तैयार कराया जा रहा है।